उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे. / प्र.का. / संरक्षा / संरक्षा परिपत्र / 8 / 24

दिनांक 20.08.2024

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 08/2024

5.09. अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का प्रवेश.–

(1) किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए स्टेशन मास्टर.–

(क) यदि संभव है तो, पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को सूचित करेगा कि गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर ली जाएगी।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के प्रवेश का नियंत्रण करने वाले सिगलन या सिगनलों को 'ऑफ' न किया जाए, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि जिन कांटों पर से गाड़ी को पास होना है, उन्हें सही तौर पर सेट कर दिया गया है और सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर ताला लगा दिया गया है।

(2) संबंधित रोक (स्टॉप) सिगनल पर गाड़ी खड़ी कर देने के बाद उसे निम्नलिखित रीति से अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है अर्थात् :–

(क) जहॉ बुलावा (कॉलिंग ऑन) सिगनल लगा है वहॉ उसे 'ऑफ' करके लोको पायलट को रोक (स्टॉप) सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकृत करना, या

(ख) जहॉ सिगनल पोस्ट टेलीफोन की व्यवस्था है वहॉ विशेष अनुदेशों के अनुसार, लोको पायलट को टेलीफोन पर रोक (स्टॉप) सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकृत करना, या

(ग) 'ऑन' स्थिति में संबंधित सिगनल या सिगनलों को पास करने के लिए लोको पायलट को लिखित प्राधिकार देना। यह प्राधिकार पत्र किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा भेजा जा सकता है, जो गाड़ी को पायलट (मार्गदर्शित) करके उस सिगनल या उन सिगनलों से पास कराएगा।

(3) प्रवेश लाइन पर ले जाने वाले सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर गाड़ी को तब तक खड़ा रखा जाएगा जब तक किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा उसे आगे बढ़ने के लिए हैंड सिगनल नहीं दे दिया जाता।

(4) अवरोध के स्थान से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर एक रोक (स्टॉप) हैंड सिगनल दिखाया जाएगा जो कि लोको पायलट को यह बताएगा कि गाड़ी को कहॉ खड़ा करना है।

(5) लोको पायलट गाड़ी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखेगा और वह किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा।

स.नि.5.09(1) सामान्य नियम 5.09(2)(ग) में निर्दिष्ट लिखित प्राधिकार निर्धारित फार्म टी / 509 पर होगा।

स.नि.5.09(2) यदि लोको पायलट को यह सूचित करने के बाद कि उसकी गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर ली जाएगी, और अवरोध क्लीयर हो जाता है तो स्टेशन मास्टर संकेतों के आधार पर गाड़ी को ले सकता है। ऐसे मामले में वह लोको पायलट को फार्म टी / 509 जारी करने के बजाय उसे यह सूचित करने के लिए एक लिखित मीमों जारी करेगा कि अवरोध क्लीयर हो जाने के कारण गाड़ी संकेतों पर ली जा रही है।

लिखित प्राधिकार टी / 509 का प्रारुप निम्न है–

फॉर्म सं. टी/509
क्रम सं. ....

उत्तर पश्चिम रेलवे

अवरोधी लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए प्राधिकार
(रिकार्ड/लोको पायलट)

.... स्टेशन

दिनांक ....समय.......

गाड़ी नम्बर .... विवरण .... अप/डाउन के लोको पायलट को।
आपको "ऑन" स्थिति में प्राधिकारधारी द्वारा मार्गदर्शित होते हुए सावधानीपूर्वक गाड़ी की गति 15 कि.मी. से अधिक न रखते हुए *अप/डाउन *आउटर/होम/रूटिंग सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। आपकी गाड़ी एक अवरोधी लाइन पर ली जा रही है इसलिए आप अपनी गाड़ी को लाइन नं. ....(शब्दों में) .... (अंकों में) .... की तरफ के फेसिंग प्वाइंटों पर तब तक खड़ी रखेंगे जब तक आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल नहीं दिया जाता।

....
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर
स्टेशन मास्टर की मोहर

लोको पायलट के हस्ताक्षर .... दिनांक ....
*जो लागू न हो उसे काट दें।

20/8/24
प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिः–

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।